रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 2017/फाल्गुन 6, 1938
No. 559] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25, 2017/PHALGUNA 6, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2017

का.आ. 625(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और, भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) महिलाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) के लिए केंद्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता स्कीम (स्टेप) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है।

स्कीम के अधीन परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (पीआईए) जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) अर्थात् किसी प्रवृत्त विधि के अधीन स्वायत्त संगठन के रूप में या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी (लाभ के लिए नहीं) या स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संगठनों के रूप में स्थापित संस्थाओं या संगठनों और सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से ऐसे कौशल उपलब्ध कराने के लिए, जो महिलाओं को नियोजनीयता देते हैं या उन्हें स्व-नियोजित अथवा उद्यमी बनने में समर्थ बनाते हैं, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) उपलब्ध कराया जाता है।

और कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रस्थापित पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् —

1. (i) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपना आधार संख्यांक होने का सबूत दे या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे।

(ii) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने वाले किसी ऐसे फायदाग्राही से, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक अपना आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, किंतु वह स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं के उपभोग का इच्छुक है, 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा है परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने की हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे ।

(iii) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए; जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध प्रस्थापित करने की होगी और यदि आस-पास जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो मंत्रालय से, उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या मंत्रालय स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी ।

परन्तु फायदाग्राहियों को आधार संख्यांक नियत किए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं दी जाएंगी अर्थात् –

(क) (i) यदि उसने अपना नामांकन करवा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा-2 के उप-पैरा-(ख) में यथानिर्दिष्ट उसके द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति ; और

(ख) (i) बैंक फोटो पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान कार्ड; या (iii) राशनकार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या (viii) एमजीएनआरईजीएस कार्ड; या (ix) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच मंत्रालय द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधारहित प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्कीम के अधीन मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करने वाले कार्यान्वयन अभिकरण मंत्रालय की ओर से ऐसी सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेंगे, अर्थात्—

(क) फायदाग्राहियों को, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार के आवश्यकता के प्रति उन्हें जागरूक बनाने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्र पर अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि फायदाग्राही आस-पास जैसे ब्लॉक या तहसील या तालुका जैसे निकटतम क्षेत्र में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं तो मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें और फायदाग्राही अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा पैरा-1 के उप-पैरा (iii) के पहले परन्तुक में यथा-विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरा देते हुए मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित संबंधित पदाधिकारी के पास या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैबपोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्टर करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं ।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[सं. एसटी-50/58/2016-सीटीईपी]

के. मोसेस चलाई, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2017

S.O. 625(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India (hereinafter referred to as the Ministry) is administering the Support to Training and Employment Programme (STEP) Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) for women (hereinafter referred to as the beneficiary) as a Central Sector Scheme;

And whereas, under the Scheme, financial assistance and training (hereinafter referred to as benefits) is provided for providing skills that give employability to women or enable them to become self-employed or entrepreneurs, through the Project Implementing Agencies (PIAs) (hereinafter referred to as the Implementing Agencies), namely, Institutions or organisations set up as Autonomous Organisations under any law in force or as a Society (not for profit) or voluntary organisations or non-governmental organisations registered under the Societies Registration Act, 1860 or the Indian Trusts Act, 1882; and Co-operative societies;

And whereas, the aforesaid Scheme offered through the Implementing Agencies involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (i) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(ii) A beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the Benefits under the Scheme are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June 2017 , provided she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(iii) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Ministry itself becoming UIDAI registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiaries, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if she has enrolled, her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) MGNREGS Card; or (ix) any other documents as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Implementing Agencies receiving grants from the Ministry under the Scheme shall make all required arrangements on behalf of the Ministry including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries can be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (iii) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the Ministry or through the web portal provide for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[No. ST-50/58/2016-STEP]

K. MOSES CHALAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.25 14:41:29 +05'30'